

भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 44

भारी उद्योग विभाग

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	517.22	40.60	557.82	204.88	70.85	275.73	185.42	71.11	256.53	279.92	112.95	392.87
पूंजी	73.75	565.77	639.52	465.00	884.00	1349.00	114.58	549.89	664.47	20.08	887.05	907.13
जोड़	590.97	606.37	1197.34	669.88	954.85	1624.73	300.00	621.00	921.00	300.00	1000.00	1300.00
ब.अ. 2016-2017												
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	27.80	27.80
2. आटोमोबाइल उद्योग का विकास	2852	199.90	82.15	282.05
	6858	0.01	...	0.01
	जोड़	199.91	82.15	282.06
3. पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का विकास	2852	50.01	1.00	51.01
4. केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम												
4.01 केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम को अनुदान	2552	30.00	...	30.00
	2852	0.01	2.00	2.01
	जोड़	30.01	2.00	32.01
4.02 केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम में निवेश	4552	0.01	...	0.01
	4858	20.01	...	20.01
	4860	0.04	...	0.04
	जोड़	20.06	...	20.06
4.03 केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम को ऋण	6854	150.00	150.00
	6858	0.01	737.00	737.01
	6860	0.05	0.05
	जोड़	0.01	887.05	887.06
जोड़- केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम		50.08	889.05	939.13
सं.अ. 2015-2016												
5. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं उद्योग	3451	1.95	18.01	19.96	2.88	19.85	22.73	1.92	20.31	22.23

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एक मुश्त प्रावधान (एचपीसी/एनपीसीसी/सीसीआई/एवाईसीएल/सीपीएम)	2552	50.00	...	50.00	83.50	...	83.50
7. ऑटोमोबाइल और एलाइड उद्योगों हेतु विकास परिषद को अनुदान	2852	...	21.24	21.24	...	48.00	48.00	...	48.00	48.00
8. राष्ट्रीय ऑटोमेटिव परीक्षण एवं आरएंडडी अवसंरचना परियोजना	2852	241.91	...	241.91
9. ऑटोमोटिव क्षेत्र - परीक्षण अवसंरचना और वैद्युत वाहनों के लिए आरएंडडी परियोजनाओं की स्कीम	2852	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00
10. हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड को अनुदान	2852	...	1.96	1.96	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
11. हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (सीपीएम)	2852	268.56	...	268.56
12. हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को अनुदान	2852
13. कैपिटल गुड्स उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मकता के विस्तार की योजना	2852	2.80	...	2.80	25.00	...	25.00	23.00	...	23.00
14. आरएंडडी परियोजनाएं - ताप विद्युत संयंत्रों के लिए उन्नत अल्ट्रासुपर - क्रिटिकल (एडीवी-यूएससी) प्रौद्योगिकी का विकास	2852	50.00	...	50.00
15. अन्य व्यय	2852	2.00	...	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	0.80	2.80
जोड़-उद्योग		515.27	23.20	538.47	202.00	51.00	253.00	183.50	50.80	234.30
16. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एक मुश्त प्रावधान(एचपीसी/एनपीसीसी/सीसीआई/एवाईसीएल/सीपीएम)	4552	54.00	...	54.00
17. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण												
17.01 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और पृथक्करण स्कीम तथा सांविधिक देयों हेतु एकमुश्त प्रावधान	6858	734.00	734.00	...	294.92	294.92
17.02 लोक उद्यमों के लिए पुनरुज्जीवन योजना हेतु एकमुश्त प्रावधान	6854	150.00	150.00
17.03 इंजीनियरिंग उद्योग												
17.03.01 भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड	6858
17.03.02 ब्रेथवेट बर्न जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लि. (बीबीजे)	6858
17.03.03 एचएमटी लिमिटेड	6858	...	279.82	279.82	83.61	83.61

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
17.03.04 हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	6858	...	92.71	92.71	134.56	134.56
17.03.05 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	6858
17.03.06 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड	6858
17.03.07 तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	6858	...	1.73	1.73	2.84	2.84
17.03.08 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड	6858	...	47.89	47.89
जोड़- इंजीनियरिंग उद्योग	422.15	422.15	221.01	221.01
17.04 उपभोक्ता उद्योग												
17.04.01 नेपा लिमिटेड	6860	...	34.91	34.91
17.04.02 हिन्दुस्तान फोटो फिल्म लिमिटेड	6860	...	102.53	102.53	23.50	23.50
17.04.03 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड	6860	...	6.18	6.18	10.46	10.46
जोड़- उपभोक्ता उद्योग	143.62	143.62	33.96	33.96
जोड़- सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण	565.77	565.77	...	884.00	884.00	...	549.89	549.89
18. ब्याज माफी												
18.01 एचएमटी लिमिटेड	2852	...	38.58	38.58
18.02 एंड्रू यूएल एंड कंपनी लिमिटेड	2852
18.03 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	2852
18.04 नेपा लिमिटेड	2852	...	368.58	368.58
18.05 घटाए - निवल प्राप्ति	0049	...	-407.16	-407.16
कुल
19. ऋण का अनुदान में परिवर्तन												
19.01 हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	2852	3.00	3.00
19.02 घटाएं : निवल प्राप्ति	0852	-3.00	-3.00
कुल
20. ब्याज का अनुदान में परिवर्तन												
20.01 हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	2852	5.97	5.97
20.02 घटाएं : निवल प्राप्ति	0049	-5.97	-5.97
कुल
21. गारंटी फीस माफ करना												
21.01 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	2852	...	2.53	2.53	2.53	2.53
21.02 एंड्रू यूएल एंड कंपनी लिमिटेड	2852
21.03 एचएमटी लिमिटेड	2852
21.04 घटाए - निवल प्राप्ति	0075	...	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
22. इक्विटी कम करना	
22.01 एंड्रू यूल् एंड कंपनी लिमिटेड	2852	
22.02 घटाए - निवल प्राप्तियां	0852	
कुल	
23. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	4854	
	4858	10.00	...	10.00	
	4860	73.00	...	73.00	61.00	...	61.00	114.58	...	114.58	
	6858	340.00	...	340.00	
	6860	0.75	...	0.75	
जोड़	73.75	...	73.75	411.00	...	411.00	114.58	...	114.58	
24. वास्तविक वसूलियां	2852	...	-0.61	-0.61	
कुल जोड़	590.97	606.37	1197.34	669.88	954.85	1624.73	300.00	621.00	921.00	300.00	1000.00	1300.00	
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
इंजीनियरिंग उद्योग													
1. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	12858	...	395.00	395.00	...	516.00	516.00	...	516.00	516.00	...	350.00	350.00
2. एचएमटी लिमिटेड	12858
3. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड	12858	50.00	...	50.00	0.02	...	0.02
4. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	12858	20.00	...	20.00
5. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	12858
6. इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा	12858	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
7. एंड्रू यूल् एंड कंपनी लिमिटेड	12858	...	17.95	17.95	...	61.00	61.00	...	16.00	16.00	...	61.00	61.00
8. भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड	12858	4.38	4.38
9. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड	12858	...	1.34	1.34	...	17.00	17.00	...	15.00	15.00	...	18.50	18.50
10. इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड कोटा/राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड	12858	...	1.15	1.15	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	6.00	6.00
11. नेशनल ऑटोमोटिव टैस्टिंग आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट	12858	300.00	...	300.00	0.01	...	0.01
12. फ्ल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट	12858	...	0.67	0.67	...	1.10	1.10	...	1.10	1.10	...	1.16	1.16

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
13.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी लि.	12858	...	2.74	2.74	...	20.00	20.00	...	15.00	15.00	...	20.00	20.00
14.	भारत पम्पस एंड कंप्रेसर लि.	12858
15.	रिचर्डसन एंड क्रूड्स लि.	12858
16.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड	12858
17.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट लि.	12858
18.	ब्रेटवेयर बर्न जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.	12858	...	0.13	0.13	...	112.26	112.26	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00
जोड़-इंजीनियरिंग उद्योग		...	423.98	423.98	350.00	740.74	1090.74	...	571.10	571.10	20.03	460.66	480.69	
<i>उपभोक्ता उद्योग</i>														
19.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड	12860	...	0.36	0.36	...	19.57	19.57
20.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट्स लिमिटेड	12860	...	3.45	3.45	...	17.10	17.10	...	3.00	3.00
21.	नेपा लिमिटेड	12860	50.99	84.00	134.99	104.58	...	104.58	0.01	...	0.01
22.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	12860	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	0.01	...	0.01
23.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	12860
24.	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	12860
25.	नागालैंड पल्प एंड पेपर कारपोरेशन	12860	...	3.36	3.36	0.01	73.97	73.98
26.	जगदीशपुर यूपी पेपर मील	12860	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-उपभोक्ता उद्योग		...	7.17	7.17	61.00	120.67	181.67	114.58	3.00	117.58	0.04	73.97	74.01	
<i>सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग</i>														
27.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	12854	...	5.56	5.56	...	33.81	33.81	...	23.41	23.41	...	55.63	55.63
28.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वर्धन, संशोधन एवं प्रतिस्थापन	12854
जोड़-सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग		...	5.56	5.56	...	33.81	33.81	...	23.41	23.41	...	55.63	55.63	
जोड़		...	436.71	436.71	411.00	895.22	1306.22	114.58	597.51	712.09	20.07	590.26	610.33	
ग. योजना परिव्यय														
1.	इंजीनियरी उद्योग	12858	248.66	423.98	672.64	504.88	740.74	1245.62	101.92	571.10	673.02	269.94	460.66	730.60
2.	उपभोक्ता उद्योग	12860	342.31	7.17	349.48	61.00	120.67	181.67	114.58	3.00	117.58	0.05	73.97	74.02
3.	सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग	12854	...	5.56	5.56	...	33.81	33.81	...	23.41	23.41	...	55.63	55.63
4.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	104.00	...	104.00	83.50	...	83.50	30.01	...	30.01
जोड़			590.97	436.71	1027.68	669.88	895.22	1565.10	300.00	597.51	897.51	300.00	590.26	890.26

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** इसमें भारी उद्योग विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।
2. **ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास::** निम्नलिखित उप-स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए निधियां आवंटित की गई हैं:
 - i) नेशनल ऑटोमोटिव परीक्षण तथा अनुसंधान और विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) - नैट्रिप का उद्देश्य राष्ट्रीय ऑटोमोटिव सुरक्षा और उत्सर्जन रूपरेखा की उभरती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप विश्वस्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण, मान्यकरण, अनुसंधान और विकास तथा होमोलोगेशन सुविधाएं सृजित करना है। इन्हें उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत के तीन प्रमुख केन्द्रों में सृजित किया जा रहा है। भारत सरकार ने इस परियोजना का अधिकांश वित्तपोषण किया है तथा परियोजना संबंधी सभी आयातों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट भी दी गई है जबकि राज्य सरकार ने रियायत दरों पर भूमि को पेशकश की है। विभिन्न चालू परियोजनाओं में उपकरणों को लगाने और उनको आरंभ करने के लिए नैट्रिप हेतु योजना प्रावधान किया गया है।
 - ii) भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण हेतु योजना- फेम इंडिया:- इस स्कीम के माध्यम से, देश की जैविक ईंधन पर निर्भरता कम करने के साथ लोगों को स्वयच्छ- परिवहन समाधान उपलब्ध कराने के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान(एनईएमपी)योजना 2020 के तहत देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड परिवहन को बढ़ाना देने की एक पहल इस विभाग ने प्रारंभ की है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए योजना प्रावधान रखा गया है।
 - iii) डेवलपमेंट काउंसिल फोर ऑटोमोबाइल एण्ड एलाइड इंडस्ट्री को अनुदान: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परियोजना को पूरा करने तथा अनुसंधान संस्थानों अर्थात एआरएआई, पुणे, वीआरडीई, अहमदनगर और सीआईआरटी, पुणे और देश में अन्य अनुसंधान और विकास संस्थानों में बदलते सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों के अनुसार वाहनों के परीक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करने के संबंध में नई और चालू विकास परियोजनाओं के लिए डेवलपमेंट काउंसिल फोर ऑटोमोबाइल एण्ड एलाइड इंडस्ट्री को अनुदान के रूप में प्रावधान रखा गया है।
 - iv) फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट(एफसीआरआई): फ्लो मेजरिंग तथा कंट्रोल डिवाइसों से संबंधित कार्यकलापों के लिए तथा भारत एवं दक्षिण-एशिया के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं फ्लो उत्पादों हेतु मूलभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए यूएनडीपी परियोजना के रूप में एफसीआरआई की स्थापना 1987 में की गई थी।
3. **पूँजी वस्तु क्षेत्र का विकास::** निम्नलिखित उप-स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए निधियां आवंटित की गई हैं:
 - i) भारतीय पूंजी वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि की स्कीम: इस स्कीम का उद्देश्य देश में औद्योगिक आधार को विकसित करने के लिए विभाग की बड़ी स्थायी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में भारतीय पूंजी वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि करना है। इस योजना के तहत, उद्योगों को कौशल और प्रौद्योगिकी सहयोग प्रदान करने के लिए आधुनिक साज्जा सुविधा केन्द्रों और सेक्टर विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टर पार्कों की स्थापना की जाएगी। इस स्कीम के वित्तपोषण के लिए आयोजना प्रावधान रखा गया है।
 - ii) औद्योगिक एसोसिएशनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उन्नयन कार्यकलापों के लिए अनुदान: औद्योगिक एसोसिएशनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उन्नयन कार्यकलाप करने के लिए अनुदान हेतु योजनेतर प्रावधान रखा गया है।

4. **केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसईज):** 4.01 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अनुदान-
 - (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान: पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान रखा गया है। एनईआर के तहत, कछार पेपर मिल(सीपीएम) के लिए निधियां रखी गई हैं। कछार पेपर मिल(सीपीएम) एचपीसी की एक इकाई है तथा सीसीईए के निर्णय दिनांक 28.02.2014 के अनुसार सीपीएम को परिवहन सब्सिडी के रूप में सहायता अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए योजना निधियां रखी गई हैं।
 - (ii) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) को अनुदान:- हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड को पूर्ववर्ती नमक विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित सांभर, डिडवाना और खरगोधा के नमक स्रोतों का अधिग्रहण करने हेतु भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में दिनांक 12.04.1958 को निगमित किया गया। एचएसएल के पूर्व कर्मचारियों की पेंशन देयताओं को पूरा करने के लिए योजनेतर प्रावधान किया गया है।
- 4.02 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश-
 - (i) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) में निवेश: स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड 2010 में रुग्ण घोषित कर दी गई तथा वीआईएफआर के कार्यक्षेत्र में आ गई। सरकार ने एसआईएल के लिए वर्ष 2013 में पुनरुद्धार पैकेज अनुमोदित किया था। इसकी पुनरुद्धार योजना के एक भाग के रूप में इक्विटी के रूप में योजना प्रावधान रखा गया है।
 - (ii) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों नामतः नेपा लिमिटेड, जगदीशपुर पेपर मिल लिमिटेड(जेपीएमएल), इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि.(एचईसी), हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड(एचएसएल), नगालैण्ड पल्प एंड पेपर कंपनी लि. (एनपीपीसी), हिंदुस्तान मशीन टूल्स लि.(एचएमटी), टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (टीसीआईएल) तथा हिंदुस्तान फोटो फिल्डव (एचपीएफ) के लिए सांकेतिक प्रावधान रखे गए हैं।
- 4.03 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को ऋण-
 - (i) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार के लिए एकमुश्त प्रावधान: सार्वजनिक क्षेत्र के हानि में चल रहे उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन योजना पर व्यय को पूरा करने के लिए योजनेतर एकमुश्त प्रावधान रखा गया है। यह प्रावधान निधि की आवश्यकता और सरकारी अनुमोदन के आधार पर विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उद्यमों के लिए भी है।
 - (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति और पृथक्करण योजना तथा सांविधिक देयताओं के भुगतान के लिए एकमुश्त प्रावधान: सार्वजनिक क्षेत्र के हानि में चल रहे उद्यमों को उनके संसाधनों में कमी को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए योजनेतर ऋण के लिए योजनेतर प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उद्यम जिन्हें बंद किए जाने का अनुमोदन किया जा चुका है, के कर्मचारियों के लिये वीआरएस/वीएसएस लागू करने और सांविधिक देयताओं के भुगतान के लिए योजनेतर ऋण हेतु योजनेतर प्रावधान रखा गया है।